पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2017 विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की

लखनऊः 14 अगस्त, 2017

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित 'उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2017' पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

'उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2017' पूर्व में अधिनियमित 'उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक 2015' में संशोधन हेतु पारित किया गया है। विधेयक पारित होने से ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड का नाम परिवर्तित कर ब्रज तीर्थ विकास परिषद करने, उपाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करने तथा उपाध्यक्ष को कतिपय महत्वपूर्ण कार्य देने, एक विधि सलाहकार की नियुक्त करने की व्यवस्था की गयी है।

उल्लेखनीय है कि ब्रज विरासत को सुरक्षित, अनुरक्षित एवं विकसित करने और जनपद मथुरा में कार्य कर रहे विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं का अनुश्रवण और समन्वय करके जनपद मथुरा में स्थित ब्रज क्षेत्र का एकीकृत विकास करने के लिए पूर्व में पारित 'उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड अधिनियम 2015' में संशोधन हेतु उक्त विधेयक राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित होकर राज्यपाल की सहमति हेतु प्राप्त हुआ था।

अंजुम/ललित/राजभवन (303/19)